प्रेस नोट - थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 20.11.2026

थाना रोजा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही,महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारंटी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश तथा अवैध शराब, शस्त्र, अफीम एवं चरस की बिक्री/निर्माण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग व गश्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.11.2026 को वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 13.06.2026 को अभियुक्त राधेश्याम पुत्र बेचेलाल नि0 ग्राम कुआडांडा, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 505/26 धारा 87 बीएनएस बनाम राधेश्याम पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता/अपहृता की बरामदगी की गई तथा उसके धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 69 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 20.11.2026 को थाना रोजा पुलिस टीम क्षेत्र में शांति व्यवस्था ड्यूटी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग में मामूर थी, तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राधेश्याम गुर्री चौकी के पास टेढ़ी पुलिया पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राधेश्याम पुत्र बेचेलाल नि0 ग्राम कुआडांडा, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 20.11.2026 को समय 12:05 बजे गुर्री चौकी के पास टेढ़ी पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राधेश्याम पुत्र बेचेलाल निवासी ग्राम कुआडांडा थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र 37 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:

दिनांक 20.11.2026 को समय 12.05 बजे,गुर्री चौकी के पास टेढी पुलिस से

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 505/2026 धारा 87,69 बीएनएस थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 प्रवीण शुक्ला, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
3. हे0का0 अशोक कुमार,थाना रोजा शाहजहाँपुर
4. का0 विकास नागर,थाना रोजा शाहजहाँपुर